संख्या : वे०आ०-2–257 / दस-2004-45-(एम)-99

प्रेषक,

श्री मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 20 अगस्त, 2004

विषय :– समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

समयमान वेतनमान की स्वीकृति विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या-वे०आ०-1–166 / दस-12(एम) / 95, दिनांक 8 मार्च, 1995 के साथ पठित शासनादेश संख्या-वे०आ०-1–84 / दस-12(एम) / 95, दिनांक 5 फरवरी, 1997 तथा इस अनुभाग के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2–560 / दस-45(एम) / 1999, दिनांक 2 दिसम्बर, 2000, के साथ पठित शासनादेश संख्या-वे०आ०-2–604 / दस-2001-45(एम) / 1999, दिनांक 10 अप्रैल, 2001 एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2–1658 / दस-2001-45(एम) / 1999, दिनांक 3 सितम्बर, 2001 द्वारा लागू व्यवस्था के विषय में विभिन्न राज्य कर्मचारी संगठनों एवं प्रशासकीय विभागों से प्राप्त सन्दर्भों के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह आया है कि समयमान वेतनमान की स्वीकृति के बारे में निर्गत उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित विभिन्न प्राविधानों के अधीन निर्णय लेने में वेतन निर्धारण / स्वीकर्ता अधिकारियों के स्तर पर कतिपय कठिनाइयाँ महसूस की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में समयमान वेतनमान की अनुमन्यता के विषय में प्राप्त विभिन्न सन्दर्भ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण संलग्न करते हुए अधोहस्ताक्षरी को आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्बन्धित कर्मचारियों को तद्नुसार संमयमान वेतनमान की स्वीकृति दी जाय और यदि इस विषय में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त।

संख्या वे०आ०-2–257(1) / दस-2004-45 (एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मा० राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव / सचिव।
(2) रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(3) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) इरला चेक अनुभाग / इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।
(5) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय नवीन भवन, कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
(6) समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
आर०एस० सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या वे०आ०-2-257–(2)/दस-2004-45 (एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
आर०एस० सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या वे०आ०-2–257–(3)/दस-2004-45 (एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
आर०एस० सिंह,
विशेष सचिव।

समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित कतिपय प्राविधानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

सन्दर्भ बिन्दु	स्पष्टीकरण
1–शासनादेश दिनांक 3 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर–1 (1) के सम्बन्ध में यह जिज्ञासा की गयी है कि ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिनांक 1 मार्च, 1995 से पूर्व लागू व्यवस्थानुसार प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का 16 वर्षीय लाभ मिल चुका था यदि उनकी इस लाभ की तिथि से 3 वर्ष की सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा दिनांक 1 मार्च, 1995 से पहले ही पूरी हो जाती हो तो उन्हें 19 वर्षीय वेतनवृद्धि 19 वर्ष की वास्तविक सेवा पूर्ण होने की तिथि से देय होगी अथवा 19 वर्षीय लाभ की व्यवस्था के लागू होने के दिनांक अर्थात् 1 मार्च, 1995 से।	19 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में भी एक वेतनवृद्धि अनुमन्य कराने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1995 तथा 5 फरवरी, 1997 द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1995 से प्रभावी की गयी है। अतएव प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का लाभ दिनांक 1 मार्च, 1995 से पूर्व अनुमन्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता।
2–शासनादेश दिनांक 3 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर–2 (क) में सीधी भर्ती के पद के सापेक्ष्य द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1 मार्च, 2000 के पूर्व देय न होने का प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिन कार्मिकों को 16 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1 जुलाई, 1988 को अनुमन्य हुआ है और उनकी 24 वर्ष की सेवा 1 जुलाई, 1996 अथवा दिनांक 1 मार्च, 2000 के पूर्व ही पूर्ण हो जाती है उन्हें यह लाभ कुल 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की वास्तविक तिथि से दिया जायगा या नहीं। दिनांक 1 मार्च, 2000 के पूर्व क्या यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा?	सन्दर्भगत शासनादेश में द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान सीधी भर्ती के पद पर 24 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा, जिसमें 19 वर्षीय वेतनवृद्धि की तिथि से 5 वर्ष की सेवा भी सम्मिलित है पर अनुमन्य कराने की व्यवस्था है। क्योंकि 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का लाभ दिनांक 1 मार्च, 1995 के पूर्व देय नहीं है अतः 24 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1 मार्च, 2000 के पूर्व किसी भी दशा में देय नहीं होगा।
3–समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 19 वर्षीय वेतनवृद्धि स्वीकृत होने की तिथि से 5 वर्ष की सेवा सहित कुल 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य कराने की व्यवस्था है। ऐसे मामलों में जहां समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत 16/14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने के बाद सम्बन्धित कर्मचारी को उक्त वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंच जाने के कारण 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का वास्तविक लाभ अनुमन्य कराया जाना	16/14 वर्ष के आधार पर अनुमन्य प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के अधिकतम पर होने के कारण जिन कार्मिकों को 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिल सका उन्हें सम्बन्धित पद पर 24 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा जिसमें 19 वर्षीय वेतनवृद्धि के लिए नियमानुसार अर्हता की तिथि से 5 वर्ष की सेवा सम्मिलित है, पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 1 मार्च, 2000 जो भी बाद में हो से द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जा सकता है।

सन्दर्भ बिन्दु	स्पष्टीकरण
पर धारित पद के अधिष्ठान अधिकारी द्वारा ?	
9–आशुलिपिक के पद (रु० 4000–6000) हेतु विभाग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध न होने पर वैयक्तिक वेतनमान के रूप में वेतनमान सूची के अनुसार अगला वेतनमान रु० 4500–7000 देय होगा अथवा आशुलिपिक संवर्ग हेतु निर्धारित ढांचे में उपलब्ध अगले पद का वेतनमान रु० 5000–8000 देय होगा।	आशुलिपिक संवर्ग में समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का निर्धारण विभाग में उपलब्ध पदों/सेवा नियमावली की व्यवस्था अथवा वेतनमान सूची में उपलब्ध अगले वेतनमान के आधार पर नहीं किया जाना है। आशुलिपिक संवर्ग के पद पर समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान के रूप में आशुलिपिक संवर्ग के लिए निर्धारित सामान्य ढांचे में उपलब्ध अगले पद का वेतनमान अनुमन्य होगा।

आज्ञा से,

आर० एस० सिंह,

विशेष सचिव।

उ०यू०पी०–ए०पी०–36 सा० वित्त–(1195)–2004–10,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

सन्दर्भ बिन्दु	स्पष्टीकरण
पर धारित पद के अधिष्ठान अधिकारी द्वारा ?	
9–आशुलिपिक के पद (रु० 4000–6000) हेतु विभाग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध न होने पर वैयक्तिक वेतनमान के रूप में वेतनमान सूची के अनुसार अगला वेतनमान रु० 4500–7000 देय होगा अथवा आशुलिपिक संवर्ग हेतु निर्धारित ढांचे में उपलब्ध अगले पद का वेतनमान रु० 5000–8000 देय होगा।	आशुलिपिक संवर्ग में समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का निर्धारण विभाग में उपलब्ध पदों/सेवा नियमावली की व्यवस्था अथवा वेतनमान सूची में उपलब्ध अगले वेतनमान के आधार पर नहीं किया जाना है। आशुलिपिक संवर्ग के पद पर समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान के रूप में आशुलिपिक संवर्ग के लिए निर्धारित सामान्य ढांचे में उपलब्ध अगले पद का वेतनमान अनुमन्य होगा।

आज्ञा से,
आर० एस० सिंह,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–36 सा० वित्त–(1195)–2004–10,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।